बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

डॉ. बी. राजेन्दर, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–15.04.2026 को 2:30 बजे अपराह्न में सात निश्चय योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार से संबंधित सूचनाओं के संकलन हेतु बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : संलग्न है।

2. अपर मुख्य सचिव के द्वारा सात निश्चय योजना के अनतर्गत रोजगार सृजन, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार से संबंधित मांगी जा रही सूचनाओं के संबंध में विस्तार से बतलाया गया। उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्रों में (यथा–प्रपत्र–A, प्रपत्र–1 (हार्डकॉपी में समेकित प्रतिवेदन), प्रपत्र–2 (ऑनलाईन प्रपत्र–1), प्रपत्र–3 (ऑनलाईन प्रपत्र–2), प्रपत्र–4 (ऑनलाईन प्रपत्र–3A), प्रपत्र–5 (ऑनलाईन प्रपत्र–3B), प्रपत्र–6 (ऑनलाईन प्रपत्र–4), एवं प्रपत्र–7 (ऑनलाईन प्रपत्र–5) में) प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है जिसका विवरण निम्नवत् है–

1. **प्रपत्र–A :–** निदेशालय/परिषद/निगम/समिति/बोर्ड का नाम एवं अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय का नाम/सूची/संख्या से संबंधित है।
2. **प्रपत्र–1 (हार्डकॉपी में समेकित प्रतिवेदन) :–** विभागवार/कार्यालयवार/पदवार स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं वास्तविक रिक्ति से संबंधित है।
3. **प्रपत्र–2 (ऑनलाईन प्रपत्र–1) :–** राज्य के सभी सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है (20.01.2016 से अबतक)।
4. **प्रपत्र–3 (ऑनलाईन प्रपत्र–2) :–** नियमित/संविदा/वाह्य स्त्रोत से नियुक्त पुरूष एवं महिलाओं की संख्या से संबंधित है।
5. **प्रपत्र–4 (ऑनलाईन प्रपत्र–3A) :–** नियमित स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत बल एवं संविदागत नियुक्ति से संबंधित है।
6. **प्रपत्र–5 (ऑनलाईन प्रपत्र–3B) :–** संविदागत स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत बल एवं रिक्ति से संबंधित है।
7. **प्रपत्र–6 (ऑनलाईन प्रपत्र–4) :–** अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में महिलाओं की मानक के अनुरूप, 35 प्रतिशत भागीदारी से संबंधित है।
8. **प्रपत्र–7 (ऑनलाईन प्रपत्र–5) :–** अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या एवं उसके कार्यालय प्रधान के पद पर महिलाओं की भागीदारी से संबंधित है।

शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी निदेशालय/निगम/परिषद एवं सभी अधीनस्थ कार्यालयों को कार्यालयवार उक्त प्रपत्रों में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है।

3. विगत समीक्षा बैठक में सभी निदेशालय/निगम/परिषद से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा कर एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। उक्त के आलोक में प्रतिवेदन प्राप्ति की अद्यतन स्थिति निम्नवत् पायी गयी–

1. **जन शिक्षा निदेशालय** :– प्रतिवेदन प्राप्त।
2. **मध्यान भोजन योजना निदेशालय** :– प्रतिवेदन प्राप्त।
3. **बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड** :– प्रतिवेदन प्राप्त।
4. **प्रशासन निदेशालय** :– प्रतिवेदन प्राप्त।
5. **बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड** :– प्रतिवेदन प्राप्त।
6. **बिहार राज्य टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लिमिटेड** :– प्रतिवेदन प्राप्त।
7. **राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT)** :– प्रतिवेदन प्राप्त।
8. **पुस्तकालय एवं सूचना निदेशालय** :– प्रतिवेदन प्राप्त।
9. **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति :–** प्रतिवेदन प्राप्त।
10. **माध्यमिक शिक्षा निदेशालय :–** (i) मुख्यालय तथा मुख्यालय स्थित माध्यमिक शिक्षा कार्यालय का प्रतिवेदन प्राप्त। (ii) अधीनस्थ सभी 09 क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का प्रतिवेदन प्राप्त। (iii) अधीनस्थ 38 जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में से 36 जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का प्रतिवेदन प्राप्त, शेष 02 जिले– गया एवं दरभंगा से प्रतिवेदन अप्राप्त। (iv) अधीनस्थ राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों का प्रतिवेदन विद्यालयवार अप्राप्त है।
11. **प्राथमिक शिक्षा निदेशालय** :– (i) 02 जिले यथा– गया एवं दरभंगा में अवस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, विद्यालय अवर निरीक्षक कार्यालय का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, कतिपय जिले का प्रतिवेदन अपूर्ण है एवं सुधार की आवश्यकता है। (ii) अधीनस्थ प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों से संबंधित विद्यालयवार प्रतिवेदन अप्राप्त है।
12. **उच्च शिक्षा विभाग** :– प्रतिवेदन अप्राप्त।
13. **बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् :–** प्रतिवेदन प्राप्त, परंतु यह क्षेत्रीय कार्यालयवार नहीं है।
14. **संस्कृत शिक्षा बोर्ड :–** बोर्ड मुख्यालय का प्रतिवेदन प्राप्त, विद्यालयवार प्रतिवेदन अप्राप्त है।
15. **मदरसा शिक्षा बोर्ड** :– प्रतिवेदन अपूर्ण, क्षेत्रीय कार्यालयवार/मदरसावार प्रतिवेदन अप्राप्त है।

4. अपर मुख्य सचिव के द्वारा प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर असंतोष व्यक्त किया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि सतत समीक्षा एवं निदेश दिए जाने के बावजूद कार्यालयों की सूची एवं उसमें स्वीकृत/कार्यरत बल का आंकड़ा प्राप्त नहीं होना खेदजनक है। महाविद्यालय/विद्यालयवार स्वीकृत बल/कार्यरत बल/रिक्ति/महिला भागीदारी एवं कार्यालय प्रधान के पद पर महिलाओं की भागीदारी के आंकड़ों की शीघ्रता से प्राप्ति परम आवश्यक है। एतदर्थ सभी संबंधित को विहित प्रपत्रों की प्रति भी बैठक में उपलब्ध करायी गयी।

5. इस क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्नलिखित निदेश दिए गए–

(क) जिन कार्यालयों/निदेशालयों द्वारा सभी वांछित प्रपत्रों में पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराया गया है वे अगले बुधवार (22.04.2026) के पूर्व इसे शिक्षा विभाग के रोजगार सृजन कोषांग में सॉफ्ट कॉपी के साथ प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) सात निश्चय योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार से संबंधित सूचनाओं के संकलन हेतु अगली बैठक दिनांक–**22.04.2026** को अपराह्न 02:30 बजे इसी स्थान पर पुनः आहूत होगी। जिन कार्यालयों/निदेशालयों द्वारा विहित प्रपत्रों में पूर्ण आंकड़े उस तिथि से पूर्व उपलब्ध करा दी जाएगी उन्हें बैठक में आने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) सात निश्चय योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार से संबंधित संकलित सूचनाओं की ऑनलाईन प्रविष्टि के लिए आई.टी. प्रबंधक एवं आई.टी. सेल आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

(घ) सचिव, बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने तथा बैठक में उपस्थित नहीं होने के संबंध में कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Rajendra 15.4.2026

(डॉ. बी. राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – मा.शि.का./विविध/01/2025– 621 पटना, दिनांक :–**15.04.2026**

प्रतिलिपि :सचिव, उच्च शिक्षा विभाग/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विभाग विकास निगम/निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना/निदेशक (मा०शि०/निदेशक, जन शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि. /निदेशक (प्रा०शि०)/निदेशक (उ०शि०)/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण परीक्षा बोर्ड/उप निदेशक (प्रशासन)/मो. शाहजहां, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग–सह–वरीय नोडल पदाधिकारी/निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना निदेशालय/श्री नरेन्द्र कुमार, उप निदेशक, मा. शि./सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/एवं आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajendra 15.4.2026

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक – मा.शि.का./विविध/01/2025– 621 पटना, दिनांक :–**15.04.2026**

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 15.4.2026

अपर मुख्य सचिव।

डॉ. बी. राजेन्दर, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक– 15.04.2026 को 2:30 अपराह्न में सात निश्चय योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार से संबंधित सूचनाओं के संकलन हेतु बैठक की उपस्थिति।

क्र.	पदनाम	हस्ताक्षर
1	निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	[illegible] 15/04/26
2	प्रबंध निदेशक, BSEIDC	—
3	निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना	—
4	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	[illegible] 15/04/26
5	निदेशक, जन शिक्षा	—
6	राज्य परियोजना निदेशक, बी.ई.पी.सी.	[illegible] 15/4/26
7	प्रबंध निदेशक, बिहार टेक्सट बुक	[illegible] 15/04/26
8	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	[illegible] 15/04/26.
9	निदेशक, उच्च शिक्षा	[illegible] 15.4.26.
10	निदेशक, बी.बोस	—
11	निदेशक (प्रशासन)	[illegible] 15/04/26
12	निदेशक, पुस्तकालय	—
13	सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	—
14	सचिव, संस्कृत शिक्षा बोर्ड	अनुपस्थित
15	सचिव, मदरसा शिक्षा बोर्ड	

निदेशक, प्रशासन [illegible] 15/04/26